



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/12/2018-19

30 अप्रैल, 2018

सेवा में,

श्रीमती अनीता देवी  
पत्नी श्री बृजराज  
निवासी ग्राम व पो. सुकरौली,  
तहसील व थाना हाटा  
जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु  
महोदय,

कृपया दिनांक 13.04.2018 के अपने पत्र जोकि इस कार्यालय में 17.04.2018 को प्राप्त हुआ है  
जिसके साथ आपने पचास रूपये का पो.आ. सं. 38जी 795801 संलग्न कर सूचना का अधिकार  
अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी चाही है, का संदर्भ  
ग्रहण करें।

उक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा संलग्न किये गये पचास रूपये के  
पो.आ. सं. 38जी 795801 की वैद्यता समाप्त हो चुकी है अतः मांगी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं  
कराई जा सकती।


आशा है आप स्थिति से सहमत होंगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
hurbi.shakeel@nic.in

O/C  
Muzaffarnagar  
11/5/18



सेवा में

मा० उपराष्ट्रपति महोदय / जनसूचना अधिकारी  
भारत सरकार नई दिल्ली—भारत।



विषय—जन सूचना अधिकार अधित् 2005 के तहत सूचना देने के सम्बन्ध में।  
महोदय

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीनी गरीब अहसहाय महिला हूँ तथा आ०नं० 29 का बैनामा लिया हूँ। तथा आ०नं०—275, .274 में आवास शौचालय मौजूद है लेकिन लेखपाल द्वारा फर्जी तौर पर भूमि विधि अधित् की धारा 176 के तहत बटवारा करने का रिपोर्ट उपजिलाधिकारी हाटा के न्यायालय में प्रेषित किया है। जिसका कायमी सं०—630 टी 20160544022600 है। और पूर्व में उपजिलाधिकारी दिनांक—22.12.11 पत्रांक सं०—22 में यह पुष्ट किया है कि उक्त आराजी में अनीता का कब्जा है और कब्जा से बेदखल करने के विरुद्ध विपक्षी पर कार्यवाही की गयी है। जिसके कम में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करती हूँ।

1—क्या दिनांक 22.12.11 पत्रांक सं०—22 में जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त विपक्षी को कब्जा में हस्तक्षेप करने से मना करेंगे कि नहीं यदि हों तो कब तक और नहीं तो क्यों। उसकी प्रमाणित प्रति दिया जाय।

2—क्या आ०नं०—29क मध्यस्थता विधि के अन्तर्गत राजमंगल यादव उक्त भूमि बटवारा में प्राप्त किया था और 35 वर्ष के बाद उक्त भूमि में 176 की कार्यवाही की गयी है जो नियम विरुद्ध है। इसके आधार पर उक्त विपक्षी को कब्जा है। अवैध हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है कि नहीं यदि है तो कारण स्पष्ट करते हुए प्रमाणित प्रति दिया जाय।

3—क्या उक्त सम्पत्ति मध्यस्थता विधि के अन्तर्गत 35 वर्ष पहले राजमंगल यादव अपने हक हिस्सा में प्राप्त किये थे। जिसका रिपोर्ट एस०डी०एम० हाटा ने अनीता के आवेदन पर दिनांक—22.12.11 पत्रांक सं०—22 में पुष्ट किये हैं। जिसके आधार पर उक्त कायमी स्वीकार होनी चाहिए कि नहीं यदि होनी चाहिए तो कायमी स्वीकार करके प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।

4—क्या माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिवील जज एस०डी० द्वारा अपने आदेश में एस०डी०एम हाटा को कायमी स्वीकार करने का आदेश/निर्देश दिया है उसका पालन करना चाहते हैं कि नहीं यदि हों तो कब तक नहीं तो क्यों, कारण स्पष्ट करते हुए प्रमाणित प्रति दिया जाय।

5—क्या उक्त कायमी माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश/निर्देश में हस्तक्षेप होना चाहिए कि उक्त वाद 176 कैसे हो गया जो दिनांक—22.12.11 से लेकर अब तक कब्जा दखल में है और उक्त सम्पत्ति का केता हम प्रार्थीनी हूँ। इस आधार पर उक्त भू—भाग में कोई अप्रिय घटना न घटित हो आदेश/निर्देश देना चाहते हैं कि नहीं ताकि स्थल पर शान्ति व्यवस्था कायम हो सके।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रश्नावली पैरा 1 से 5 तक की वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक—

20/— का भारतीय पोर्टल आर्डर

नं० 306 795001

प्रार्थीनी अनीता

अनीता देवी पत्नी बृजराज

ग्राम—सुकरौली, पो०—सुकरौली

तह० व थाना—हाटा

जनपद—कुशीनगर उ०प्र०

दिनांक—13/५/१९